भारत सरकार

तथा

लातविया गणराज्य सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

भारत सरकार तथा लातविया गणराज्य सरकार, जिन्हें एतत्पश्चात् "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किये गये अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं,

नागर विमानन के क्षेत्र में अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने तथा अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार करने के इच्छुक हैं,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ जहां पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई होः

(क) "वैमानिकी प्राधिकारियों" पद का अभिप्राय, भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक तथा लातविया गणराज्य के मामले में, परिवहन मंत्रालय, अथवा दोनों मामलों में, कोई व्यक्ति अथवा निकाय, जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

(ख) "अभिसमय" पद से अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संबंधी अभिसमय से है और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 94 और 90 के अंतर्गत उक्त अनुबंधों अथवा अभिसमय

में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है जहां तक वे अनुबंध तथा संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गये हों,

(ग) "नामित विमान कंपनी" पद से अभिप्राय ऐसी विमान कंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित तथा प्राधिकृत किया गया हो,

(घ) किसी देश के संदर्भ में "राज्यक्षेत्र" पद से अभिप्राय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है,

(ड॰) "विमान सेवा","अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमानकंपनी" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रुकना" पदों से अभिप्राय क्रमशः वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इनके लिए निर्धारित किया गया है,

(च) "इस करार" पद में इसका अनुबंध और उसमें अथवा इस करार में किया गया संशोधन भी शामिल है, तथा

(छ) "प्रयोक्ता प्रभार" पद से अभिप्राय, उस प्रभार से है जो विमानों, उनके कर्मीदलों, यात्रियों तथा कारगो हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा सुविधाओं सहित हवाई अड्डा परिसम्पत्ति या सुविधाओं के अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विमानकम्पनियों पर लगाया गया हो अथवा लगाए जाने की अनुमति दी गई हो।

अनुच्छेद 2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के साथ संलग्न अनुसूची के उपयुक्त खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ इस करार में निर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। इसके आगे,इस प्रकार की सेवाओं तथा मार्गों को क्रमशः "सहमत सेवाएं" तथा "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

§क§ बिना अवतरण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरना,

§ख§ दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रुकना, तथा

§ग§ निर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनियों को इस करार की अनुसूची में उस मार्ग के लिए उल्लिखित स्थल §स्थलों§ पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो के अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप में आरोहण तथा अवरोहण का भी अधिकार होगा।

3· इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा §3§ तथा §4§ के उपबंधों के अध्यधीन इस करार के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नामित उन विमानकंपनियों से भिन्न प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमानकंपनी §कंपनियों§ को भी इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उप-पैरा §क§ तथा §ख§ में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4· इस अनुच्छेद के पैरा 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी §कंपनियों § को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थित अन्य स्थल के लिए जाने वाले यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
विमान कंपनियों को नामित करना तथा उनको प्राधिकृत करना

1· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ दो तक विमान कंपनियां नामित करने तथा ऐसे नामन वापस लेने अथवा बदलने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना लिखित रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष को दी जायेगी ।

2· ऐसे नामन प्राप्त होने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैरा §3§तथा§4§ के उपबंधों के अध्यधीन, बिना बिलंब किये नामित विमानकंपनी §कंपनियों§ को उपयुक्त प्रचालन

प्राधिकार स्वीकृत करेगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उन्हें आश्वस्त करे कि वह उन नियमों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में लागू की जाती हैं।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, ऐसे किसी भी मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से मना करने, अथवा किसी भी नामित विमान कंपनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, जिसे वह आवश्यक समझे, जिसमें उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है।

5. इस प्रकार नामित तथा प्राधिकृत की गई विमानकंपनी सहमत सेवाओं का प्रचालन शुरु कर सकती है बशर्ते कि उक्त विमानकंपनी इस करार के लागू उपबंधों का अनुपालन करती हो।

अनुच्छेद-4
प्रचालन प्राधिकारों को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी को दिए गए प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने अथवा रोक देने अथवा इस करार के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग के संबंध में ऐसी शर्तें लगाने का, जिसे वह आवश्यक समझे, अधिकार आरक्षित रहेगा :-

(क) किसी भी मामले में जहां वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित हैं, अथवा

(ख) उस विमानकंपनी के इन अधिकारों को प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतया लागू किए गए कानूनों और/अथवा विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में, अथवा

सत्यमेव जयते

§ग§ यदि विमानकंपनी इस करार के अन्तर्गत विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा विफल रहती है।

2• इस करार के उपबंधों अथवा कानूनों और/अथवा विनियमों के और आगे अतिलंघन को रोकने के लिए इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार का जब तक तत्काल प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना अथवा शर्तों का लगाना अनिवार्य न हो, तब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल इस करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के सथ परामर्श करने के बाद किया जाएगा।

अनुच्छेद-5
प्रयोक्ता प्रभार

1• किसी भी संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी §कंपनियों§ पर इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली अपनी स्वंय की विमानकंपनियों पर लगे प्रयोक्ता प्रभार से अधिक प्रभार लगाने अथवा लगाए जाने की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा।

2• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभार वसूलने वाले संगठनों और सेवाओं तथा सुविधाओं का लाभ उठाने वाली नामित विमानकंपनियों के बीच प्रयोक्ता प्रभारों के सम्बंध में विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देगा और जहां व्यवहार्य हो, ऐसा विमानकंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए ऐसे प्रयोक्ताओं को यथोचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन किये जो से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त र सकें।

अनुच्छेद-6
सीमा-शुल्क और कार्यविधि

1• दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी §कंपनियों§ द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रचालित विमान और ऐसे विमान में पहले से रखे, बीच में लिये

गये अथवा चढ़ाए गए उसके नियमित उपस्कर, ईंधन तथा स्नेहकों की पूर्तियों और विमान भण्डार को और, जो सर्वथा ऐसे विमान के अथवा में प्रयोग के लिए आशयित हैं, सभी प्रकार के सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, और अन्य शुल्कों अथवा करों के संबंध में अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, वहीं अभिक्रिया की जाएगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली उसकी अपनी विमानकंपनी (कंपनियों) को अथवा अत्यधिक समर्थन प्राप्त राष्ट्र की विमानकंपनियों को प्रदान की जाने वाली अभिक्रिया से कम अनुकूल नहीं हो।

2• इसी प्रकार का व्यवहार किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश के समय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर विमान के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए प्रयोग किये जा रहे अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी किया जाएगा।

3• दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी को भी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शल्कों अथवा इसी प्रकार के प्रभारों से छूट अथवा माफी नहीं दी जाएगी बशर्ते कि दूसरा संविदाकारी पक्ष भी पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को ऐसे प्रभारों से छूट अथवा माफी नहीं दे देता।

4• किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखे गये नियमित वैमानिक उपस्कर और सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्य क्षेत्र के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा।

5• इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (4) में उल्लिखित सामग्री को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की देख-रेख अथवा नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद-7
प्रतिनिधित्व

1• एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को परस्परता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधि तथा वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति होगी।

2• नामित विमानकंपनी की मर्जी पर, स्टाफ संबंधी ये आवश्यकताएं इसके अपने कार्मिकों

द्वारा अथवा दूसरे संगठन, कंपनी या अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रही और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत विमानकंपनी की सेवाओं को प्रयोग करके, पूरी की जा सकती हैं।

3. प्रतिनिधि और स्टाफ अन्य संविदाकारी पक्ष के लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे तथा ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप ऐसा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित प्रतिनिधियों और स्टाफ को परस्परता के आधार पर तथा न्यूनतम विलम्ब से आवश्यक कार्य-परमिट, नियोजन वीजा या ऐसे ही अन्य कागजात प्रदान करेगा।

4. परस्परता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को अपने राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेक पर अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से विमान परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित विमानकंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को स्थानीय मुद्रा में या किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-8
कानूनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में रत विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान को, अथवा उसके राज्यक्षेत्र के अन्दर ऐसे विमानों के प्रचालन तथा दिक्चालन को शासित करने वाले कानून और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी के विमानों पर लागू होंगे।

2. एक संविदाकारी पक्ष के उसके राज्यक्षेत्र में यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक के प्रवेश, मुकाम तथा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले कानून और विनियम जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और संगरोध से संबंधित दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों में उक्त राज्यक्षेत्र के अन्दर वाहित यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक पर लागू होंगे।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अपने सीमा-शुल्क, आव्रजन, संगरोध के अनुप्रयोग

तथा इसी प्रकार के विनियमों के संबंध में इसी प्रकार की अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत दूसरे संविदाकारी पक्ष की किसी नामित विमानकंपनी की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमानकंपनी को तरजीह नहीं देगा।

4. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से गुजरने वाले सीधे पारगमन वाले यात्री अत्यन्त सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कार्गो सीमा-शुल्क और इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त होगा।

अनुच्छेद-9
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के हितों को ध्यान में रखेगी (रखेंगी) ताकि उस दूसरी विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा उसी मार्ग (मार्गों) के सम्पूर्ण या आंशिक भाग पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं पर अनावश्यक रुप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3. नामित विमानकंपनियों द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रदान की जाने वाली क्षमता का दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्री जनता की विमान परिवहन सम्बन्धी अनुमानित आवश्यकताओं के साथ निकट का सम्बन्ध होगा।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा प्रचालित सेवाओं की आवृत्ति और उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता पर सहमति दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य की जाएगी।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति और/अथवा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता में कोई भी वृद्धि संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच, मुख्यतः यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और वह दोनों देशों के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा सहमति की शर्त के अधीन होगी। इस प्रकार के

करार अथवा समझौता होने तक, पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति पात्रताओं का निर्वाह किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद10
प्रचालन सूचना का प्रावधान

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, अपनी नामित विमानकंपनी ‡कंपनियों‡ से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, सेवा के प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार और उड़ान समयावलियों के बारे में सहमत सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम साठ दिन पहले विचार व अनुमोदन हेतु भिजवाने हेतु अपेक्षा कर सकते हैं। जब कभी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई भी परिवर्तन किया जाना हो तब भी इसी प्रकार की सूचना कम से कम 30 ‡तीस‡ दिन पहले दी जाएगी।

2• नामित विमानकंपनी ‡कंपनियों‡ द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसी कोई अन्य सूचना भी दी जानी होगी जिससे वे इस बात से संतुष्ट हो सकें कि इस करार की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद-11
आंकड़ों की व्यवस्था

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी-अपनी नामित विमानकंपनी ‡कंपनियों‡ से, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए या वहां से सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वहन किये गये यातायात से संबंधित आंकड़े भिजवायेंगे जिसमें इस प्रकार के यातायात के उतरने और चढ़ने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथा संभव शीघ्र दिये जायेंगे, लेकिन जिस महीने से ये संबंधित हैं, उसके अनुवर्ती ‡तीस‡ 30 दिनों से अधिक देर से नहीं।

2• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए तथा वहां से उक्त अनुरोध में उल्लिखित ऐसी समयावधि से संबंधित जो एक आयटा यातायात सीजन से अधिक न

हो, वाहित यातायात के वास्तविक प्रारम्भिक तथा गंतव्य स्थान से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएगें अथवा अपनी-अपनी नामित विमानकंपनी §कंपनियों§ से, भिजवाएंगे।

अनुच्छेद-12
टैरिफ

1• निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" पद का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं । उक्त कीमतों में एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतें और शर्तें शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं ।

2• एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी §कंपनियों§ द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से या उस तक वहन के लिए वसूल किये जाने वाले टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किये जायेंगे जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमानकंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जायेगा।

3• इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ में उल्लिखित टैरिफों का निर्धारण यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच सहमति से किया जायेगा और ऐसा करार, जब कभी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

3• इस प्रकार सहमत टैरिफ, उन्हें लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे §90§ दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। यह अवधि विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है।

5• यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाये। यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §4§ के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तीस §30§ दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की हो तो उन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जायेगा। पैराग्राफ §4§ में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की अवधि,

जिसके भीतर इसे अवश्य अधिसूचित किया जाये, तीस {30} दिन से कम होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ {3} के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं हो सकती है या यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ {5} के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ {3} के प्रावधानों के अनुसार, सहमत टैरिफ पर अपनी अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकाकरी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा {4} के अतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा इस अनुच्छेद के पैरा {6} के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते तो इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जायेगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह {12} महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता है।

अनुच्छेद-13
उपार्जन का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी {कंपनियों} को प्रथम संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में डाक सहित यात्रियों और कार्गो के वहन के सम्बन्ध में व्यय से अधिक अर्जित आय को अपने प्रधान कार्यालय भेजने का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, इस प्रकार का धन-प्रेषण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी-मुद्रा विनियमों के अनुसार किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा, जिसके राज्यक्षेत्र में यह राजस्व अर्जित किया गया हो।

2. इस प्रकार का हस्तांतरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनिमय दर पर किया जाएगा अथवा जहां कोई सरकारी विनिमय दर न हो, उस स्थिति में मुद्रा भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा मार्केट दरों पर किया जाएगा।

3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटारे के लिए कोई विशेष प्रबंध-

व्यवस्थाएं प्रभावी हैं, तो इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के अधीन निधियों के हस्तांतरण के लिए ऐसी प्रबंध-व्यवस्थाओं के उपबंध लागू किये जायेंगे।

अनुच्छेद-14
विमानन सुरक्षा

1• अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा संबंधी विधिविरुद्ध कार्य दमन संलेख §प्रोटोकॉल§ के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2• अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के विधिविरुद्ध अभिग्रहण संबंधी कृत्यों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी अन्य कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3• दोनों संविदाकारी पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक ये अनुबंध इन संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, वहां से

प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय ऊपर पैराग्राफ §3§ में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लादने से पहले या उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु उचित विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5• जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा, जैसे कि वह व्यवहार्य समझे, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है, भूमि पर रोका जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए इसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो। जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किये जायेंगे।

अनुच्छेद-15
परामर्श तथा संशोधन

1• दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार के कार्यान्वियन, निर्वचन, अनुप्रयोज्यता अथवा संशोधन के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य हो सकता है, तथा जो चर्चा अथवा पत्राचार द्वारा किया जा सकता है, अन्य संविदाकारी पक्ष को लिखित अनुरोध प्राप्ति की तारीख से साठ §60§ दिनों की अवधि के भीतर शुरु कर दिया जाएगा।

2. परामर्शों के परिणामस्वरूप सहमत इस करार में कोई भी आशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदन-प्रदान द्वारा उनकी पुष्टि कर दिये जाने के बाद प्रभावी होगा।

3. तथापि, अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों के संबंध में आशोधन, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष सहमति द्वारा किये जा सकते हैं और ये उनके द्वारा अवधारित तारीख को प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद-16
विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रयोज्यता से संबंधित कोई विवाद उठता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इसे परस्पर बातचीत द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे और ऐसा कर पाने में विफल रहने पर उक्त विवाद निपटान हेतु संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद-17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रवर्तन में आ जाता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद-18
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपनी इच्छा के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो ऐसे मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह (12) महीने के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले

सहमति से वापस न ले लिया गया हो। दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती की सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह (14) दिन बाद उक्त नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद-19
प्रवर्तन में आना

इस करार को प्रवर्तन में लाने हेतु आवश्यक अपनी अपनी संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए जिस तारीख को दोनों संविदाकारी पक्ष राजनयिक टिप्पणियों का आदान प्रदान करेंगे, उसी तारीख से यह करार प्रभावी होगा ।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के कारण, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 20 अक्तूबर 1997 को हिन्दी, लातवियन और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन से संबंधित किसी भी मतभेद के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा।

Jayanthi Natarajan

कृते भारत सरकार

Valdis Birkavs

कृते लातविया गणराज्य सरकार